बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना -- 233(9)
12.03.2018

संoसं09/आ0–01–41/2017 /स्वा0/पटना,दिनांक / डा0 राजीव रंजन चौधरी, तत्कालीन प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, अतिरिक्त प्रा0 स्वा0 केन्द्र, तेतरावाँ सदर प्रखंड, बिहारशरीफ, संप्रति निलंबित को जिला पदाधिकारी, नालंदा के पत्रांक 3164 दिनांक 4.11.2017 द्वारा प्रतिवेदित आरोपों के लिए विभागीय अधिसूचना सं0 1215(9) दिनांक 27.11.17 द्वारा निलंबित किया गया। उनसे दिनांक 4.11.2017 को प्रसव हेतु अतिरिक्त प्रा0 स्वा0 केन्द्र, तेतरावाँ सदर प्रखंड, बिहारशरीफ आई महिला के नवजात शिशु की मृत्यु एवं इसके पूर्व प्रा0 स्वा0 केन्द्र कतरीसराय, नालंदा में इनके पदस्थापन काल में दिनांक 27.10.2015 को ईलाज के अभाव में एक प्रसूता की मृत्यु इनकी लापरवाही के कारण होने के संबंध में विभागीय पत्रांक 28(9) दिनांक 12.01.2018 द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गई।

आरोप एवं आरोपित पदाधिकारी द्वारा स्पष्टीकरण दिनांक 23.01.2018 की विभागीय स्तर पर समीक्षा की गई तथा यह देखते हुए कि डा0 चौधरी द्वारा दिनांक 3.11.2017 को OPD में ड्यूटी की गई थी तथा दिनांक 4.11.17 को वे प्रभारी के बुलाने पर पूर्वाह्न 08.00 बजे अस्पताल पहुँच गए और प्रसव कार्य किये। दिनांक 27.10.2015 को ईलाज के अभाव में प्रसूता महिला की मृत्यु के मामले में इनकी लापरवाही परिलक्षित नहीं होती है। लेकिन प्रा0 स्वा0 केन्द्र कतरीसराय में अस्पताल के द्वारा दवा की आपूर्ति नहीं किये जाने में इनकी भमिका संदिग्ध होने के कारण **इन्हें असंचयात्मक प्रभाव से एक वार्षिक वेतन वृद्धि पर रोक का दंड देते** हुए निलंबन से मुक्त किया जाता है, साथ ही उन्हें निलंबन से पूर्व के पदस्थापन स्थान पर पदस्थापित किया जाता है।

डा0 चौधरी की निलंबन अवधि कर्तव्य अवधि मानी जाएगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
ह0/–
(नागेन्द्र प्रसाद)
सरकार के अवर सचिव,
स्वा0 विभाग, बिहार,पटना।

ज्ञापांक: 233(9) /स्वा0, पटना , दिनांक: 12.03.2018

e-mail

प्रतिलिपिः– महालेखाकार, (ले0 एंव ह0) बिहार पटना/ अवर सचिव, वित्त(वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– क्षेत्रीय उप–निदेशक, स्वास्थ्य सेवायें पटना प्रमंडल पटना/ सिविल सर्जन नालंदा/गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– जिला पदाधिकारी, नालंदा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– डा0 राजीव रंजन चौधरी, चिकित्सा पदाधिकारी, अतिरिक्त प्रा0 स्वा0 केन्द्र, तेतरावाँ सदर प्रखंड, बिहारशरीफ, नालंदा संप्रति निलंबित मुख्यालय सिवि लसर्जन कार्यालय, गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– माननीय मंत्री (स्वा0) के आप्त सचिव/प्रधान सचिव स्वा0 के निजी सहायक/निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य सेवाऐं बिहार पटना/ प्रशाखा पदाधिकारी 2,3,5,7,8,10, 17 एवं 18ए स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– आई0टी0 मैनेजर, स्वा0 विभाग को विभागीय वेबसाइट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

12.3.18
सरकार के अवर सचिव

D:\Sweta\All Letter 2017\Notification.docx